निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 कार्तिक 1948 (श0)

(सं0 पटना 1335) पटना, शुक्रवार, 30 अक्तूबर 2026

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

30 अक्तूबर 2026

अधिसूचना संख्या– 02/2026–राज्य कर (दर)

एस० ओ० 226, दिनांक 30 अक्तूबर 2026—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम– 12, 2017) की धारा 9 की उप धारा (1) तथा धारा 15 की उप–धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्या–09/2025– राज्य कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 1513, दिनांक 17 सितंबर, 2025, द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः–

उक्त अधिसूचना में, –

(क) अनुसूची I - 2.5% में,

(i) क्र. सं. 237 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: –

''सभी समान अर्थात पशु या वनस्पति उर्वरक या जैविक उर्वरक पूर्व–पैक और लेबलयुक्त।

स्पश्टीकरण.– इस प्रविष्टि के अंतर्गत उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 की अनुसूची 6 के अधीन यथा पंजीकृत, समुद्री–शैवाल अर्क आधारित जैव–उद्दीपक (बायो–स्टिमुलेंट्स) सम्मिलित हैं।'';

(ii) क्र. सं. 272 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''272क.	4012	रिट्रीडेड ट्रैक्टर टायर'';

(ख) अनुसूची II - 9% में,

क्र. सं. 138 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: –

''रबर के रिट्रीडेड या प्रयुक्त वायवीय टायर (रिट्रीडेड ट्रैक्टर टायर के अलावा); रबर के ठोस या कुशन टायर, टायर ट्रेड और टायर फ्लैप'';

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–22) 02)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

---

30 अक्तूबर 2026

एस० ओ० 226, दिनांक 30 अक्तूबर 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–22) 02)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 30th October 2026

Notification No 02/2026- State Tax (Rate)

S.O. 226, Dated 30th October 2026—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Commercial Tax Department notification No. 09/2025- State Tax (Rate) dated 17th September, 2025, published in the Bihar Gazette Extraordinary, vide No. 1513 dated 17.09.2025, namely:—

In the said notification, -

(a) in Schedule I – 2.5%,

(i) against S.No. 237, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely: -

"All goods i.e. animal or vegetable fertilisers or organic fertilisers pre-packaged and labelled.

Explanation.–This entry includes, sea-weed extract based bio-stimulants, as registered under Schedule VI to the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985.";

(ii) after S. No. 272 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"272A.	4012	Retreaded tractor tyres";

(b) in Schedule II – 9%,

against S. No. 138, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:-

"Retreaded or used pneumatic tyres of rubber (other than retreaded tractor tyres); solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber";

2. This notification shall come into force on the 1st day of November, 2026.

[(FileNoBikrikar/GST/vividh-21/2017(Part-22)02)]
By the order of Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR SINGH,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1335-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in